प्र.का./बै.प्र./07-08
06 अगस्त 2007

<u>विषय : बैंकों के लिए ऋण बीमा सुरक्षा से संबंधित मामलों पर स्पष्टीकरण</u>

सीमा संबंधी मामलों की जाँच के दौरान, बैंकों को ऋण बीमा सुरक्षा व दावे / वसूलियों जैसे कई मामले सामने आए हैं जिस पर बैंकों एवं शाखाओं को बताने व उचित स्पष्टीकरण जारी किए जाने की आवश्यकता है । वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में उनकी जाँच की गई और उचित अनुमोदन सहित निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं :

1. संपूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अंतर्गत पैकिंग ऋण / पोतलदानोत्तर साख सीमाओं की अधिसूचना : हेल्थ कोड के आधार पर खातों की सुरक्षा हेतु कार्यवाही करने के स्थान पर परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर खातों की सुरक्षा हेतु संशोधित प्रक्रिया पहले ही लागू है । संशोधित प्रक्रिया नीचे पुन: दोहराई जा रही है :

क) मानक के रूप में वर्गीकृत खातों को मंजूर सीमा पर ध्यान दिए बिना इ सी आई बी (सं.प.पै.ऋ.)/इ सी आई बी (सं प पो ल गा) के अंतर्गत निगम के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । तथापि, बैंक शाखा द्वारा निर्धारित प्रारूप में सीमा की सूचना निगम को देनी होगी ।

ख) जिन खातों को नए खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो अधिकार में लिए गए खाते हैं उन्हें विवेकाधीन सीमा तक संरक्षित किया गया है और विवेकाधीन सीमा से अधिक की सीमा हेतु निगम का अनुमोदन आवश्यक है ।

ग) अवमानक / संदिग्ध / हानि के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए सीमा पर ध्यान दिए बिना भले ही सीमा बैंकों के लिए निर्धारित विवेकाधीन सीमा के भीतर हो, निगम का अनुमोदन लेना आवश्यक है ।

घ) जब खाता मानक की स्थिति से गिरकर अवमानक अथवा उससे भी घटिया स्थिति में आ जाता है तब बैंक से यह अपेक्षा होती है कि वह निगम का अनुमोदन प्राप्त करे ।

उपर्युक्त परिवर्तन परिचलनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांतों और गारंटी दस्तावेजों में किए गए हैं । तथापि, बैंकों को इस संबंध में अलग से सूचित नहीं किया गया है । बैंकों के लिए अलग से परिपत्र जारी किया जा रहा है ।

2. <u>जिन बैंकों ने संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानपूर्व सुरक्षा नहीं ली है उन्हें व्यक्तिगत ऋण बीमा सुरक्षा जारी करना</u> :

जिन बैंकों ने संपूर्ण पण्यावर्त पोतलदानपूर्व सुरक्षा नहीं ली है उन बैंकों को व्यक्तिगत सुरक्षा जारी करने के संबंध में (सभी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ शाखावार सुरक्षा) उन बैंकों की व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में जिन्होंने सं.प.पोतलदानपूर्व सुरक्षा (सभी व्यक्तिगत सुरक्षाएँ व शाखा-वार सुरक्षाएँ) नहीं ली है, बैंक में प्रचलित ऋण रेटिंग प्रणाली और खाते को दी गई परिसंपत्ति वर्गीकरण द्वारा संचलित होती है । शाखाएँ ऐसी सुरक्षाओं (अग्रिम भुगतान की सुरक्षा को छोड़कर) को जारी करने हेतु केवल उन खातों पर विचार कर सकती हैं जो मानक के रूप में वर्गीकृत हैं और जहाँ ऋण रेटिंग 50 व उससे अधिक है । यद्यपि स्वीकार्य ऋण रेटिंग के आधार पर सुरक्षाओं को जारी करने हेतु सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी रहेंगे, जिन निर्यातकों ने ऋण बीमा पॉलिसियाँ ली है और जहाँ पॉलिसी के अंतर्गत अनुभव संतोषजनक है, वहाँ 40 से कम स्कोर की ऋण रेटिंग के खातों (भा.स्टे.बैंक उसकी सहयोगी संस्थाओं के मामले में एस बी 6) के लिए, क्षे.प्र. व उ.म.प्र. स्तर के शाखा प्रबंधकों को योग्यता के आधार पर, शा.प्र. की सिफारिशों के आधार पर बिना किसी मौद्रिक सीमा के प्राधिकृत किया गया है । बैंको को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक परिपत्र जारी किया जा रहा है ।

3. <u>उन बैंकों को व्यक्तिगत ऋण बीमा सुरक्षा जिन्होंने संपूर्ण पण्यावर्त पैकिंग ऋण सुरक्षा ली है</u> :

जिन बैंकों ने निगम की ई सी आई बी (सं.प.पै.ऋ.) सुरक्षा ली है किंतु सं.प.पोतलदानोत्तर रक्षा नहीं ली है, के संबंध में बैंकों की शाखाएँ, चुने गए आधार पर रक्षाओं को जारी करने के लिए हमारे कार्यालयों से संपर्क करते हैं । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, शाखाएँ, सभी योजनाओं के अंतर्गत (अग्रिम भुगतान हेतु सुरक्षा को छोड़कर) निर्यातक की ऋण रेटिंग के संदर्भ के बिना, व्यक्तिगत सुरक्षा जारी कर सकती हैं, जब तक कि बैंक की बहियों में वह खाता मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत है ।

4. <u>सीमाओं के अनुमोदन/व्यक्तिगत सुरक्षा जारी करने हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन -</u> स्पष्टीकरण :

4.1 सीमाओं के अनुमोदन/व्यक्तिगत सुरक्षा जारी करने हेतु अधिकारों के प्रत्यायोजन की जानकारी कार्यालय आदेश सं.19 दिनांक 15.07.04 में दिया गया है । सीमाओं के अनुमोदन/रक्षा जारी करने हेतु हमारे अधिकारियों को दिए गए वित्तीय अधिकारों के संबंध में हर प्रकार की सुरक्षा के लिए अलग-अलग सीमा तथा निर्यातकों / समूह के लिए कुल सीमा निर्धारित की गई है । कुछ अधिकारियों को, रक्षा के अनुमोदन हेतु उन्हें निर्धारित वित्तीय अधिकारों की सीमा के संबंध में गलतफहमी है । यह स्पष्ट किया गया है कि रक्षा के प्रत्येक प्रकार के सामने दर्शाई गई राशि वह राशि है जहाँ तक किसी अधिकारी को एक रक्षा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है न कि उस प्रकार की पॉलिसी के अंतर्गत समग्र आधार पर रक्षा पर विचार करने हेतु अधिकतम सीमा है । अधिकतम राशि जहाँ तक रक्षा प्रदान की जा सकती है, को निर्यातक / समूह के लिए सीमा के अनुसार अलग से दर्शाया गया है । उदाहरणार्थ

उ.म.प्र.श्रेणी के अधिकारी संपूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन सीमाओं के अनुमोदन पर विचार कर सकते हैं अथवा 20 करोड़ रु.की राशि तक शाखावार सुरक्षा यथा पोतलदानपूर्व (अग्रिम भुगतान हेतु रक्षा को छोड़कर) व 1 करोड़ रु. की राशि तक अग्रिम

भुगतान सहित व्यक्तिगत रक्षा जारी करने के अधिकार हैं । बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्रति निर्यातक/समूह की कुल सीमा 40 करोड़ रु.होगी । संघीय व्यवस्था के मामले में, कार्यालय आदेश में उल्लिखित राशि से दुगुनी राशि के अधिकार होंगे । तथापि उ.म.प्र.श्रेणी के अधिकारी 40 करोड़ रु.तक पोतलदानपूर्व अथवा संपूर्ण पण्यावर्त के अंतर्गत 40 करोड़ रु. तक की व्यक्तिगत सुरक्षा जारी कर सकते हैं जो संघीय व्यवस्थाओं के संबंध में 80 करोड़ रु. की सीमा के अधीन है ।

4.2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीमाओं के अनुमोदन / व्यक्तिगत रक्षाओं को जारी करने के वित्तीय अधिकार सं.प.रक्षाओं के अंतर्गत केवल नए खातों के मामले में लागू होंगे तथा नए व मानक खातों के संबंध में स्वीकार्य ऋण रेटिंग के साथ व्यक्तिगत अथवा बैंक शाखा विशिष्ट सुरक्षा (उन बैंकों के लिए जो सं.प.पोतलदान पूर्व रक्षा के धारक नहीं है) लागू होगी । जिन बैंकों ने ई सी आई बी (सं.प.पै.ऋ.) रक्षा धारण की है उनके मामले में पै.ऋ. रक्षाओं के अतिरिक्त व्यक्तिगत रक्षाओं पर शा.प्र. द्वारा किसी भी सीमा तक विचार किया जा सकता है जब तक कि खाता उपर्युक्त (2) पर स्पष्ट किए अनुसार मानक के रूप में वर्गीकृत नहीं कर लिया जाता ।

5. <u>इ सी आई बी रक्षा लेने के इच्छुक बैंकों द्वारा मंजूर शर्त के रूप में ऋण बीमा पॉलिसी</u> :

जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिन बैंकों ने इ सी आइ बी (सं.प.पो.ल.गा.) रक्षा नहीं ली है, हमारी शाखाओं द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तिगत सुरक्षा पर विचार किया जाएगा । शाखाओं को जो समस्याएँ सामने आती है, उनमें से एक है बैंकों को जारी की जानेवाली पोतलदान सुरक्षा का प्रकार । बैंक के मंजूरी पत्र में यह शर्त होती है कि निर्यातक उचित ऋण बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकता है साथ ही आदेशिती वार सीमा भी ।

तथापि शाखाओं द्वारा यह पाया गया कि निर्यातकों ने पॉलिसियाँ नहीं ली है अथवा निर्यातक द्वारा पॉलिसी लेने के उपरांत उसे सही स्थिति में बनाए नहीं रखा है । पोतलदानोत्तर रक्षा के प्रस्तावों को इस कारण से प्रस्ताव को लंबित नहीं रखा जा सकता । एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मंजूरी पत्र में ई सी जी सी पॉलिसी सुरक्षा को, मंजूरी की एक शर्त के रूप में रखा गया है और ऐसी सुरक्षा नहीं है अथवा निर्यातक ने पॉलिसी को सही स्थिति में नहीं रखा है, शाखाएँ, ऐसे मामलों को संबंधित बैंक शाखाओं के पास ले जा सकती है व उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराएँ और ऐसी मंजूरी की शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 15 दिनों की अवधि का समय दिया जाए । यदि शाखा के प्रयासों के बावजूद, पॉलिसी रक्षा प्राप्त नहीं की जा सकी अथवा जहाँ रक्षा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हो, घोषणा स्थिति अथवा प्रीमियम के भुगतान को

नियमित नहीं किया जा सकता और ऐसा करते समय उसके साथ बैंकों को उचित सूचना भेजी जानी चाहिए जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि उसके अंतर्गत पॉलिसी रक्षा की अनुपलब्धता अथवा अनियमितता, व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर सुरक्षा पर विचार, निर्यातक को गैर पॉलिसीधारक के रूप में किया जाएगा । बैंक को विशेष रूप से मंजूरी की शर्तों के गैर अनुपालन व मामले में उचित कारवाई करने हेतु सूचित करना होगा । बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा ऋण बीमा सुरक्षा प्राप्त किए बिना व्यक्तिगत सुरक्षा जारी करने को मंजूरी शर्त के गैर अनुपालन हेतु निगम का अनुमोदन / पुष्टि के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और बैंक को उचित रूप से मंजूरी प्राधिकारी के पास मामला ले जाना चाहिए ।

6. <u>गैर पॉलिसीधारकों के मामले में गैर साख पत्र सौदों के लिए व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर सुरक्षा जारी करना :</u>

यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि वर्तमान में केवल गैर साख पत्र पोतलदानों पर दिए गए बैंक अग्रिमों की सुरक्षा हेतु उन निर्यातकों के संबंध में, जो गैर पॉलिसीधारक है, के संबंध में व्यक्तिगत पोतलदानोत्तर सुरक्षा पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सुरक्षा पहले से मौजूद है जिसके द्वारा शाखाएँ बैंक द्वारा प्रदान किए गए केवल गैर साख-पत्र अग्रिमों को रक्षा प्रदान करने हेतु विचार कर सकती हैं जिसके लिए 14 पैसे प्रीमियम दर के साथ 60% रक्षा उपलब्ध होगी । तथापि, सहयोगी संस्थाओं को निर्यातों पर प्रदान किए गए पोतलदानोत्तर अग्रिम, इस रक्षा से अपवर्जित माने जाएंगे ।

7. <u>पोषण कार्यक्रम, बी आई एफ आर / सी डी आर पैकेज कार्यान्वयन के मामले में पूर्व अनुमोदन</u> :

संपूर्ण पण्यावर्त / व्यक्तिगत सुरक्षाओं के अंतर्गत पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से पहले ही पुनर्जीवित / पोषित खातों के संबंध में, हमने बैंकों को निर्देश जारी किए थे कि ऐसे पैकेजों के कार्यान्वयन से पूर्व निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । बी आई एफ आर / सी डी आर पैकेज पोषण कार्यक्रम के रूप में भी हैं अत: कार्यान्वयन के पहले निगम का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । बैंकों को अलग से सूचित किया जा रहा है कि ऐसे पैकेजों को कार्यान्वयन के पहले निगम का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । निगम के अनुमोदन के बिना निगम संबंधित निर्यातक के पिछले व भावी देयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

8. <u>दावों का पंजीकरण</u> :

8.1 हमारे परिपत्र सं.122 के अनुसार शाखाओं को सूचित किया गया है, चाहे जो भी कारण हो शाखाओं के पास कोई भी दावे पंजीकरण के बिना न हों व सभी दावों को पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है । यह भी सूचित किया जाता है कि यदि दस्तावेज अपर्याप्त पाए गए तो बैंक को पत्र द्वारा सूचित किया जाए और मामले को "प्रतीक्षित" रखा जाए । यह ध्यान में आया है कि कुछ शाखाएँ 2 वर्ष पूर्व जारी निर्देशों के बावजूद प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर रही हैं । दावे को

पंजीकृत न करने के बावजूद यह पाया गया है कि शाखाएँ दावों के निपटान के संबंध में बेहतर पैरामीटर निष्पादन के लिए प्रतीक्षित या लंबित के अंतर्गत दर्शाती है । यह पुन: दोहराया जा रहा है कि दस्तावेजों के अपर्याप्त होने सहित किसी भी कारण से दावों को अपंजीकृत न रखा जाए ।

8.2 शाखाओं में यह प्रवृत्ति भी है कि दस्तावेजों / स्पष्टीकरण की अपर्याप्तता के कारण, बिना किसी पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के उन्हें हटा लिया जाता है अथवा नामंजूर कर दिया जाता है ताकि आवश्यक पैरामीटरों को पूरा किया जा सके । अत: प्रक्रिया को सरलीकृत करने व यह सुनिश्चित करने कि सभी दावों की प्रविष्टियाँ सिस्टम में कर दी गई हैं, उनको देखा गया है और उनपर कार्यवाही की जा रही है, यह प्रस्ताव है कि दावे को हटा लेने / बंद करने / लंबित के संबंध में एक संवर्ग जो केवल अदा किए गए / नामंजूर किए गए दावों का एक संवर्ग रखा जाए । कोई भी दावा दस्तावेजों की कमी के कारण नामंजूर न किया जाए । जब तक बैंक का उत्तर प्राप्त हो, दावे को लंबित रखा जाना चाहिए और किसी भी कारण यदि शाखा द्‍वारा कम से कम दो अनुस्मारकों के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद दावे को नामंजूर किया जाता है, ऐसे मामलों को सहमति हेतु क्षे.प्र. / उ.म.प्र. को प्रस्तुत करना होगा । तथापि ऐसे सभी मामलों के लिए अंतिम निर्णय हेतु अलग से शाखा स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए । प्र.का.(सू.प्रौ.) को सॉफ्टवेअर में इससे संबंधित आवश्यक परिवर्तन करने हेतु सूचित किया जा रहा है ।

9. <u>बी आई एफ आर/ सी डी आर के अधीन खातों से संबंधित दावों व नए ऋण जोखिमों के लिए सुरक्षा</u>

वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, बी आई एफ आर मामलों के संबंध में, निगम बी आई एफ आर के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विचार कर सकता है, किंतु यदि पुनर्जीवित करने हेतु बी आई एफ आर पैकेज को बैंक द्‍वारा कार्यान्वित किया जाता है बैंक को तत्काल दावे की राशि लौटानी होगी ताकि पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत नई सुविधा हेतु रक्षा पर विचार किया जा सके और साथ ही पिछले देयों को सुरक्षित किया जाए । यदि बैंक ने हमारा अनुमोदन नहीं लिया है अथवा दावा राशि नहीं लौटाई है, निगम द्‍वारा किसी नए ऋण जोखिम को बीमाकृत नहीं किया जाएगा किंतु बैंक को निगम के अनुपातिक हिस्से की राशि उसे देनी होगी जो उसने पैकेज के कार्यान्वयन के समय वसूल की होगी । तथापि, सी डी आर पैकेज के मामले में, बैंक के पास विकल्प है कि वह सी डी आर में प्रतिभागिता करे अथवा नहीं । ऐसे सभी मामलों में, हम यह निर्णय ले सकते हैं कि चूँकि बैंक द्‍वारा कोई नया वायदा नहीं किया गया है, दावे पर विचार किया जा सकता है और संबंधित बैंक को जैसे ही वसूली प्राप्त हो जाए उसके हिस्सेदारी के लिए सूचित किया जा सकता है । अन्य बैंकों के संबंध में, जिन्होंने नए अग्रिमों व पिछले देयों के लिए सी डी आर पैकेज को कार्यान्वित किया है, उन पर मामले वार आधार पर बैंक, जो इस पैकेज में भाग नहीं ले रहे हैं, द्‍वारा अनुमोदित या अदा किए गए दावों पर भी ध्यान रखते हुए विचार किया जाए और

ऐसे मामलों में रक्षा के अनुमोदन हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन, पोषण (नर्सिंग) कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु उपलब्ध अ.के प्र. के अनुसार होगा केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ उ.म.प्र.व उससे उच्च श्रेणी के अधिकारियों को उनके दावा अधिकारों से दुगुनी राशि तक ये अधिकार दिए गए हैं और अन्य सभी मामलों को प्र.का.में, अ.प्र.नि. के पूर्ण अधिकार से संचालित किया जाएगा ।

10. <u>द्वितीय चार्ज और अचल परिसंपत्ति :</u>

10.1 निर्यातक वाणिज्यिक बैंकों से कार्यकारी पूंजी और वित्तीय संस्थानों से मीयादी ऋण सुविधाएँ प्राप्त करते हैं । बैंकिंग कार्यप्रणाली अनुसार चालू परिसंपत्तियों पर बैंक का अपना प्रथम प्रभार होगा और अचल परिसंपत्तियों पर वित्तीय संस्थानों का प्रथम प्रभार होगा । द्वितीय प्रभार, बैंक और वित्तीय संस्थान परस्पर सौंपते हैं । दूसरे शब्दों में, जब बैंक के पास अचल परिसंपत्तियों पर द्वितीय चार्ज होगा, तब वित्तीय संस्थानों के पास चालू परिसंपत्तियों का द्वितीय चार्ज होगा । दावों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि यद्यपि बैंक द्वितीय चार्ज सौंपते हैं; ज्यादातर मामलों में वित्तीय संस्थान बैंक के पक्ष में अचल परिसंपत्तियों पर द्वितीय चार्ज नहीं देते । अत: अचल परिसंपत्तियों पर द्‌वितीय चार्ज न होने से, चूक के रूप में बन जाता है जिसे निगम द्‌वारा प्रत्येक मामले को योग्यता के आधार पर माफ किया जाना है । वर्तमान में ऐसी चूकों को माफी के अधिकार उस प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी के पास है जिसके अधिकारों के भीतर दावे की राशि देय होगी । इस चूक की माफी पर विचार करते समय यह पाया गया है कि प्राय: सभी मामलों में वित्तीय संस्थानों के पास की बकाया राशि, जमानत राशि से बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि बैंक के पास द्‌वितीय चार्ज होते हुए भी वह जमानत राशि से कोई भी राशि वसूल करने की स्थिति में नहीं होता । ऐसे मामलों में द्‌वितीय चार्ज मात्र लोपा-पोती होगा । जहाँ भी द्‌वितीय चार्जधारक प्रतिभूति का कोई अवशिष्ट मूल्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा, इस कारण से कि प्रथम चार्जधारक के प्राप्य, प्रतिभूति के मूल्य से कहीं अधिक है, यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी अधिकारियों को उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों के भीतर इस चूक को माफ करने हेतु प्राधिकृत किया जाए जो दावे के अनुमोदन हेतु प्राधिकृत है ।

11. <u>कर्मचारी उत्तरदायित्व मामले</u> :

11.1 वर्तमान प्रक्रिया अनुसार कर्मचारियों के उत्तरदायित्व की दृष्टि से जहाँ बैंक जाँच की प्रक्रिया में है या जहाँ बाहरी एजेंसियों जैसे सी बी आई, प्रवर्तन निदेशालय, डी आर आई आदि द्‌वारा जाँच चल रही है, तो दावे पर विचार कर सकते है, यदि वह देय है, और बैंक को, कर्मचारियों की जिम्मेदारी इस वचन पत्र पर अदा किया गया है, कि दावाधीन खाते के संबंध में किसी भी बैंक अधिकारी पर यदि कोई प्रमुख दंड लगाए गए हैं तो दावा लौटा दिया जाएगा । यह वचनपत्र 'प्रधान कार्यालय के म.प्र.' द्‌वारा दिया जाएगा । यह इस शर्त को संशोधित कर 'नियंत्रण कार्यालय के प्रमुख' के रूप में किया जाए । यदि

मंजूरी प्रधान कार्यालय द्वारा दी गई है, तो प्रमाण पत्र बैंक के प्रधान कार्यालय के म.प्र. द्वारा दिया जा सकता है । अधिकांश बैंकों में अंचल क्षेत्रीय कार्यालयों जहाँ महा प्रबंधक प्रमुख होते हैं, वहाँ यह परिवर्तन आवश्यक है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि बैंकों के प्रधान कार्यालय से समाशोधन के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करने में विलंब होता है, जो एक लंबी प्रक्रिया है ।

11.2 इसके अतिरिक्त, कर्मचारी उत्तरदायित्व वचन पत्र के वर्तमान प्रारूप को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । निम्नलिखित परिस्थितियाँ हो सकती हैं :

क) स्पष्टतया कोई कर्मचारी उत्तरदायित्व न हो किंतु दावा अनुमोदित करनेवाला प्राधिकारी वचन-पत्र लेना चाहे ।

ख) कर्मचारी उत्तरदायित्व मामला बैंक स्तर पर या अन्य जाँच एजेंसी के पास जाँच के अधीन है । यह एक बार पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त (क) के संबंध में, दावे पर पहले ही सूचित किए अनुसार दावा फॉर्म में दिए गए वचन के आधार पर विचार किया जाना चाहिए । (ख) के संबंध में प्रस्ताव है कि प्रारूप को यह दर्शाते हुए कि जवाब देने संबंधी मामले जाँच के अधीन है और यदि वे निर्धारित कर दिए जाते हैं तो बैंक दावे को लौटने के लिए सहमत होगा, संशोधित किया जाए । संशोधित प्रारूप अलग से जारी किया जाएगा ।

11.3 इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों के दावों के निपटान के संबंध में, जहाँ जाँच की गई है किंतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई), प्रवर्तन निदेशालय, डी आर आई या अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, शाखा / क्षेत्रीय कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे को अनुमोदित करने के बाद दावा मामले को निपटान के लिए प्रधान कार्यालय को भेजा जाना जारी रहेगा । ऐसे सभी मामले क्षेत्रीय प्रबंधक / उ.म.प्र. के माध्यम से भेजे जाएंगे और उसके साथ निर्धारित प्रारूप में कर्मचारी उत्तरदायित्व वचन पत्र, जो बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न हो । ऐसे मामलों की म.प्र.(बैंक प्रभाग) द्वारा जाँच की जाएगी और बैंक को भुगतान करने के लिए उसे निपटाया जाएगा । अन्य सभी मामलों पर जहाँ प्रधान कार्यालय का निर्णय आवश्यक होगा, म.प्र.(बैंक प्रभाग) / का.नि. द्वारा जैसा भी मामला हो, अनुमोदित किया जाएगा और बैंक को भुगतान करने के पहले उसे अगले उच्चतर प्राधिकारी को निपटान हेतु प्रस्तुत किए जाएँ । अ.प्र.नि.के पास पूर्ण अधिकार होंगे ।

12. <u>अभ्यावेदनों पर कार्यवाही</u> :

12.1 परिपत्र सं.147 दि.03.09.2005 में नामंजूर दावों अथवा आंशिक रूप से निपटाए (भुगतान किए गए) दावों के संबंध में कितनी संख्या तक अभ्यावेदनों पर कार्यवाही की जा सकती है यह दर्शाया गया है । तथापि, यह पाया गया है कि कुछ कार्यालय, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं विशेषतया तब जब पहले दावा नामंजूर किया गया था व बाद में भुगतान हेतु उसकी सिफारिश की गई है । ऐसे सभी मामलों की उन्हीं प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जानी है और यदि

प्राधिकारी एक बार फिर दावों को नामंजूर करने का निर्णय लेता है, केवल तब ही उसे अगले उच्च प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।

12.2 कितने अभ्यावेदनों तक विचार किया जाना चाहिए, इसके संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दस्तावेजों की कमी के कारण नामंजूर दावों को अभ्यावेदनों की संख्या निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि कितनी बार दावों पर विचार किया गया है, वह स्तर जहाँ दावे को चूकों अथवा कुछ अग्रिमों के अपवर्जित करने के उपरांत आंशिक भुगतान के मामले को पहला स्तर माना जाए और अभ्यावेदनों को उनके बाद से गिना जाए।

13. <u>समझौता / एक बारगी निपटान (ओ टी एस) व अनुमोदन हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन</u> :

13.1 हमने अपनी शाखाओं को समझौतों / एक बारगी निपटान के मामलों में वसूली की हिस्सेदारी के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत परिपत्र दि.24.09.98 के जरिए जारी किए है । हाल ही में, कुछ एक बारगी निपटानों को अनुमोदन हेतु भेजा गया जिसमें पाया गया कि बैंक व हमारी शाखाएँ यद्यपि मूलधन राशि के हिस्से का त्याग कर रही हैं किंतु निगम वसूली की हिस्सेदारी करते समय, बैंक ने उस ब्याज को भी गिना है जो निर्यातक द्वारा अदा नहीं किया गया है । यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि कोई भी एक बारगी निपटान या समझौता निपटान में देय मूलधन की पूर्ण वसूली की जानी अपेक्षित है । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उस खाते द्वारा की गई कोई वसूली जहाँ दावा अदा किया गया है, चाहे वह सामान्य रूप की वसूली हो या समझौता / एक बारगी निपटान हो, पहले विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत देय मूलधन राशि से समायोजित किया जाना चाहिए और निगम का हिस्सा दावा निपटान अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाएगा । गारंटियों द्वारा संरक्षित सुविधाओं मात्र से प्रभारित प्रतिभूतियों से की जाने वाली सामान्य वसूलियों के मामले में, वसूली आय, उक्त खाते में बकाया मूलधन राशि पर लागू होगी । तथापि, यदि प्रतिभूतियाँ साझा हो, शीर्षों के अधीन बकाया मूलधन राशि से समानुपातिक समायोजन किया जा सकता है । यदि बैंक, निगम के पास दावा दाखिल करने से पूर्व अथवा दावा निपटान के पूर्व ही एकबारगी निपटान करने का इच्छुक है, निगम का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है । यदि ऐसा अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता, ऐसे मामलों के संबंध में निगम दावे की अदायगी से इनकार कर सकता है ।

13.2 मूलधन राशि की गणन के उद्देश्य से, शाखाओं को, बैंक द्वारा उनकी चूक रिपोर्ट में दर्शाई गई अनर्जक परिसंपत्तियों की तारीख को देखना होगा । वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक, अनर्जक परिसंपत्तियों में ब्याज निर्धारित नहीं करती और अधिकतम एक तिमाही का ब्याज बकाया होगा और जब खाता अनर्जक संपत्तियों में परिवर्तित हो जाता है तो वह ब्याज प्रत्यावर्तित हो जाता है । जहाँ बैंक देय संपूर्ण मूलधन की वसूली की स्थिति में नहीं है, वहाँ वसूल न किए गए ब्याज का अनुपातिक विवरण अथवा अन्य देयों जैसे ई सी जी सी का प्रीमियम नामे

करने के कारण चालू खाते में ओवरड्राफ्ट व अन्य प्रभारों का प्रश्न ही नहीं उठता । शाखाओं को, छूट दी जानेवाली राशि व बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि की गणना के विवरण सहित बैंक द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नोट की प्रति मंगानी होगी । बैंक द्वारा बट्टे खाते डाले जाने वाली प्रस्तावित राशि, सामान्यतया बैंक को निर्यातक के देय मूलधन देयों की वास्तविक देयता बनाती है, जिसके लिए बैंक उत्तरदायी है । छूट प्राप्त राशि वह राशि है जो बैंक को प्रोद्भूत होती है किंतु उत्तरदायी नहीं होती जैसे ब्याज व अन्य प्रभार निर्यातक द्वारा अदा किए जाएंगे । बैंक इन राशियों को आय के रूप में निर्धारित नहीं करेगा । अत: एकबारगी निपटान के अंतर्गत वितरण हेतु पात्र राशि की गणना करते समय शाखाएँ केवल उस राशि को ध्यान में लें जो बट्टे खाती डाली गई हैं और एक बार भी जिसे छूट नहीं दी गई है । इस संबंध में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का प्रस्ताव है । निम्नलिखित उदाहरण से शाखाओं को सामान्य वसूली या एकबारगी निपटान मामलों में निगम के हिस्से की सही रूप में गणना करने में सहायता मिलेगी ।

i) जहाँ बैंक ने अपने देयों की पूर्ण वसूली की है और ब्याज को अद्यतन किया है :

मान लीजिए कि दि.01 अप्रैल 2006 को विभिन्न ऋण सुविधाओं के अंतर्गत मूलधन बकाया 100 लाख रु. था और पैकिंग ऋण मूलधन बकाया 60 लाख रु. था । बैंक द्वारा दि.01 अगस्त 2006 को दर्ज किए गए दावों पर बकाया मूलधन के 75% के रूप में 45 लाख रु. का दावा दिसंबर 2006 को अदा किया गया । बैंक ने 01 जून 2007 को 100 लाख रु. की बकाया राशि पर 125 लाख रु.की वसूली की । 25 लाख रु. की राशि जो मूलधन देयों के अतिरिक्त राशि है वह ब्याज है जो मान लीजिए दि.01 मई 2005 से 31 मई 2007 तक 2 वर्षों के लिए है । इस मामले में बैंक हमें 45 लाख रु. की राशि अदा करेगा और 45 लाख रु.की राशि पर, जब तक दावे की राशि उनके पास थी उस अवधि के लिए यथा 01 दिसंबर 2006 से 31 मई 2007 तक समानुपातिक आधार पर ब्याज की अदायगी करेगा । (लाख रु.में राशि)

मूलधन बकाया	100
पै.ऋ.मूलधन	60
प्रदत्त दावा	45
एकबारगी निपटान	125
मूलधन	100
ब्याज	25

ई सी जी सी का समानुपातिक हिस्सा 45 लाख रु. व 45 लाख रु. पर दि.01 दिसंबर 2006 से 31 मई 2007 तक (6 माह) के लिए ब्याज अर्थात् 2.81 लाख रु. होगा । अत: 47.81 लाख रु. ई सी जी सी को लौटाए जाएंगे । यदि ई सी जी सी द्वारा दावे के भुगतान के उपरांत कोई ब्याज वसूल नहीं किया गया तो ब्याज की हिस्सेदारी लौटाई नहीं जाएगी । उपर्युक्त मामले में यदि बैंक ने वसूली व्यय के लिए 1 लाख रु.की राशि कानूनी व्यय के रूप में खर्च की है, तो विनियोजन हेतु 24 लाख रु.की राशि ब्याज के रूप में उपलब्ध होगी और तदनुसार हिस्सा निर्धारित किया जाएगा ।

ii) जहाँ बैंक ने संपूर्ण मूलधन के देयों की वसूली की है और ब्याज को पूर्णतया छूट दी गई है :

ऐसे मामलो में संपूर्ण प्रदत्त दावा राशि लौटाने योग्य होगी । तथापि यदि बैंक ने कुछ राशि वसूली व्यय के रूप में व्यय की है, निगम की प्रदत्त दावा राशि, पूर्णतया लौटाने योग्य नहीं होगी । उपर्युक्त मामले में, यदि बैंक ने एक बारगी निपटान के रूप में मात्र 100 लाख रु. वसूल किए है तब निगम को हिस्से की गणना निम्न अनुसार होगी :

	(लाख रु.में राशि)
कुल देय मूलधन	100
पै.ऋ.देय मूलधन	60
प्रदत्त दावा	45
एकबारगी निपटान	100
वसूली व्यय	1
ईसीजीसी का हिस्सा	$\frac{45 \times 99}{100}$ = 44.55 लाख रु.

iii) यदि बैंक ने मूलधन के केवल एक भाग की वसूली की है और शेष देय मूलधन व ब्याज को बट्टे खाते डाला गया है, संपूर्ण एकबारगी निपटान की राशि केवल देय मूलधन के लिए ही विनियोजित की जाएगी । उपर्युक्त मामले में, यदि बैंक ने 80 लाख रु.की वसूली की है और 1 लाख रु. वसूली हेतु व्यय किए हैं तब ई सी जी सी के हिस्से की गणना निम्नअनुसार होगी :

	(लाख रु.में राशि)
कुल देय मूलधन	100
पै.ऋ.देय मूलधन	60
प्रदत्त दावा	45
एकबारगी निपटान	80
वसूली व्यय	1
ईसीजीसी का हिस्सा	$\frac{45 \times 79}{100}$ = 35.55 लाख रु.

i) बैंक द्वारा कोई एक बारगी निपटान अनुमोदित नहीं किया गया है किंतु वसूलियाँ सामान्य स्थिति में की जानी हैं :

ऐसे मामलों में भी, विभिन्न ऋण सुविधाओं के अंतर्गत वसूली राशि में से वसूली व्यय घटाकर पहले मूलधन देयों पर लागू होगा ।

तथापि, यदि वसूली उन्हीं प्रतिभूतियों से की गई है जो ई सी जी सी द्वारा संरक्षित सुविधाओं के लिए निर्धारित थी, हमारे द्वारा बीमाकृत उक्त सुविधाओं अंतर्गत जिसके लिए बैंक को दावा अदा किया गया था, वसूल की गई राशि में से वसूली व्यय घटाकर, बकाया मूलधन के लिए लागू होगी ।

13.3 प्रदान किए गए दावे के संबंध में एकबारगी निपटान के अनुमोदन हेतु प्राधिकारी उस प्राधिकारी से एक स्तर ऊपर होंगे जिन्होंने दावे का अनुमोदन किया है । तथापि, एकबारगी निपटान के मामले में जहाँ दावा अभी भी दर्ज किया जाना अथवा अनुमोदित किया जाना शेष है, वहाँ प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी को निर्धारित नहीं किया जा सकता । प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में एक बारगी निपटान प्रस्तावों का अनुमोदन उस प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, जिसे बीमाकृत ऋण को ध्यान में रखते हुए खाते के संबंध में दावे का अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया हे क्यों कि कई मामलों में एक बारगी निपटान प्रस्ताव तभी आता है जब निर्यातक द्वारा सहमत राशि का भुगतान नहीं किया जाता ।

14. <u>समझौते / एक बारगी निपटान द्वारा निपटाए गए खातों के संबंध में वि अ सू जारी की जाए</u>

14.1 वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, यदि दावा प्रदान किए गए खाते के संबंध में, बैंक ने एक बारगी निपटान किया है और निगम ने उसका अनुमोदन किया है, यदि अदा किए गए राशि के एक अंश का निगम को त्याग करना है, निर्यातक 3 वर्षों की अवधि के लिए वि अ सू में बना रहेगा । वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में मामले की योग्यता के आधार पर, व्यक्तिगत गारंटी लाभों के साथ 50% के घटे हुए स्तर पर नई सुरक्षा हेतु वचन देने का प्रावधान है । ऐसे मामले में ऐसे निर्यातकों को वि.अ.सूची से अलग करने हेतु प्रक्रिया व नए ऋण जोखिम मानने के संबंध में हाल ही में की गई समीक्षा में, बैंक एक बारगी निपटान, जिसमें पर्याप्त मात्रा में त्याग निहित है फिर चाहे वह मूलधन देयों में से भी क्यों न हो, के लिए सहमत होकर अनर्जक परिसंपत्ति स्तर को कम करने हेतु उपाय कर रहा है । साथ ही, समीक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्यों कि हामीदार के रूप में निगम ऐसा कोई ऋण जोखिम नहीं लेगा जब देयों के किसी अंश का त्याग उसी निर्यातक के कारण करना पड़े । यह भी उल्लेख किया जाता है कि एक बार जब बैंक किसी खाते के संबंध में एकबारगी निपटान हेतु सहमत हो जाता है, उसी निर्यातक या समूह के लिए उनके द्वारा कोई नया ऋण जोखिम नहीं माना जाएगा । तथापि, ऐसे कोई अन्य बैंक हो सकते हैं

जो निर्यातक को वित्त पोषण करने में रूचि रखें बशर्ते कि समुचित अभिरक्षा हो जिसमें हमारी सुरक्षा लेना भी शामिल है ।

14.2 अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे किसी निर्यातक अथवा समूह के संबंध में कोई नया ऋण जोखिम नहीं लिया जा सकता जहाँ निगम ने अदा किए गए दावे की राशि के किसी अंश या पूर्ण राशि का त्याग किया है, जब तक कि अदा किए गए दावे की संपूर्ण राशि निगम को प्राप्त न हो गई हो । यह निर्णय भी लिया गया है कि ऐसे निर्यातक या निर्यातकों का समूह या उनसे संबंधित किसी व्यक्ति को वि अ सू से हटाया नहीं जा सकेगा, यदि निगम को किसी समूह की इकाई के कारण प्रदान किए गए दावे के राशि के किसी अंश का त्याग करना पड़े । तथापि, यदि त्याग, बैंक द्वारा वहन किए गए विधिक प्रभार के कारण है जिसे निर्यातक से वसूल नहीं किया जा सकता, निर्यातक को, शाखा कार्यालय की सिफारिश के आधार पर वि.अ.सूची से अलग किया जा सकता है । विधिक प्रभार के संबंध में, शाखाएँ, निपटान प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जाँच करेंगी और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करें कि ये प्रभार बैंक द्वारा वहन किए गए हैं और निर्यातक से वसूल नहीं किए जा सकते । यदि इसे निर्यातक से वसूल किया गया है, प्रदत्त दावे की संपूर्ण राशि लौटाने योग्य होगी और शाखाएँ वि.अ.सूची से अलग करने की सिफारिश करने के पूर्व इस बात को सुनिश्चित कर लें ।

15. <u>बैंकों / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.) को परिसंपत्तियों की विक्री</u> :

15.1 यह पाया गया है कि बैंक, अन्य बैंक या ए.आर.सी. को परिसंपत्तियों की विक्री करने के लिए निगम का अनुमोदन नहीं लेते हैं । ऐसे ही एक बैंक ने हमसे संपर्क किया है जिसने बीमाकृत बैंक ऋण खरीदा है और उन्होंने बीमाकृत बैंक की तरफ से दावे पर विचार करने के लिए इच्छा जताई है । यह भी ध्यान में आया है कि बैंक / ए.आर.सी. को परिसंपत्तियों की विक्री अति निम्न स्तर पर की गई है जिसके कारण निगम को पर्याप्त रूप में बड़ी राशि का त्याग कर निम्नतर राशि स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा । ऐसे भी मामले हैं जहाँ बैंकों ने अवशिष्ट मूल्य के लिए ए.आर.सी. को परिसंपत्तियों की विक्री करने के बाद दावे के लिए निगम से संपर्क किया । ऐसी परिसंपत्तियों की विक्री का परिणाम उधारकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को समाप्त करना होगा और बैंक का निर्यातकों पर कोई वसूली अधिकार नहीं होगा । बैंकों को यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसी कार्रवाई, दावे के निपटान के पूर्व अथवा उपरांत जैसा भी मामला हो के पहले की जानी आवश्यक है । बैंकों को मामला दर मामला आधार पर निगम का अनुमोदन लेना होगा ।

16. <u>बैंकों / ए.आर.सी.को परिसंपत्तियों की विक्री हेतु अनुमोदन संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन</u> :

16.1 बैंकों / ए.आर.सी. को परिसंपत्तियों की विक्री से संबंधित मामलों के अनुमोदनार्थ आंतरिक अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंध में, जहाँ दावे अभी तक दर्ज करने/निपटाए जाने शेष है, वहाँ क्षेत्रीय प्रबंधकों व उ.म.प्र. श्रेणी के अधिकारियों को बैंक द्वारा दावा की गई राशि अथवा दावे के भुगतान हेतु पात्र मानी गई राशि पर ध्यान दिए बिना 250 लाख रु. तक की राशि के दावे की राशि को त्यागने के अनुमोदनों पर विचार करने के अधिकार दिए गए है । अन्य सभी मामलों को प्र.का.भेजा जाए व प्र.का. के अधिकारियों को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे । अ.प्र.नि. को संपूर्ण अधिकार होंगे । एक बार ऐसा अनुमोदन दिए जाने के उपरांत, प्राधिकारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के भीतर उचित प्राधिकारी द्वारा दावे पर विचार किया जा सकता है ।

16.2 प्रदत्त दावा खाते के संबंध में वसूली कार्रवाई के भाग के रूप में ऐसे अनुमोदनों की आवश्यकता है, तो दावा अनुमोदित करनेवाले अधिकारी से एक स्तर ऊपर के प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन का वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होगा ।

16.3 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इस मामले में बैंकों को पहले ही उपयुक्त सूचना दी गई है । चूँकि बैंकों / ए आर सी को परिसंपत्तियों की विक्री से संबंधित अधिकांश मामलों में, बैंक के प्रधान कार्यालय निर्णय लेते हैं और बैंक शाखाओं को जब तक उनके पास निर्णय नहीं आता उसका पता नहीं चलता, बैंक के प्रधान कार्यालयों को अलग से पत्र जारी करने का प्रस्ताव है ।

17. शाखाओं को सूचित किया जाता है कि परिवर्तनों और स्पष्टीकरणों को नोट करें और अधिकारियों को उससे अवगत कराएँ । यद्यपि जहाँ कहीं आवश्यकता हों, वहाँ बैंकों को परिपत्र जारी किए जाने हैं, बैंकों के अधिकारियों को भी परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाए ।

दस्तावेजों में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो, प्र.का.(योजना विभाग) को ऐसे परिवर्तन करने के लिए सूचित किया जा रहा है । उपर्युक्त सूचीबद्ध मामलों में यदि अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो शाखाओं से अनुरोध है कि प्रधान कार्यालय (बैंक प्रभाग) से संपर्क करें । शाखाओं से अनुरोध है कि परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें ।

(वे. विश्वनाथन्)
महा प्रबंधक (बैंक प्रभाग)